न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 146/2024 — निर्णय दिनांक 26.09.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/306

श्यामसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 2. भवानीसिंह 3. डूंगरसिंह पुत्रगण कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से दावा निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1291/940 तादादी 1.5500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 भंवानीसिंह के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1288/934 तादादी 1.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1290/940 तादादी 0.4500 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 डूंगरसिंह के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1289/934 तादादी 2.3800 हैक्टेयर रोही जोधासर में स्थित है। कि वादी का कब्जा काश्त सडक के दक्षिणी तरफ 1.2300 हैक्टेयर एवं सडक के उतरी तरफ 0.3200 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 भवारीसिंह के सड़क के उतरी तरफ 2.3900 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के सड़क के उतरी तरफ 2.3800 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त कायम है एवं खेतो के मध्य सीमाऐ कायम है लेकिन राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत सड़क के दक्षिणी तरफ 2.000 हैक्टेयर एवं सड़क के उतरी तरफ 4.3200 हैक्टेयर दर्ज है। वादगत खेतो का कुल तादादी 6.3200 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकार्ड में सड़क के दक्षिणी तरफ 2.000 हैक्टेयर है जबकि मौके पर 1.2300 हैक्टेयर है एवं सड़क के उतरी तरफ 4.3200 हैक्टेयर है जबकि मौके पर 5.0900 हैक्टेयर कायम है मौके एवं रिकार्ड में 0.7700 हैक्टेयर का अन्तर है जिससे वादी के खेत की तरमीम सड़क के दक्षिणी तरफ कर दी जबकि मौके पर बादी का कब्जा काश्त सड़क के दक्षिणी तरफ 1.2300 हैक्टेयर उतरी तरफ 0.3200 हैक्टेयर कायम है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेतों का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी है जिसको सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नवशे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने की अधिकारी है । वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादी अपने खसरे की तरमीम [illegible] एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने की अधिकारी है यह है कि वादी [illegible] नक्शा सीट में मौके एवं कब्जे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में [illegible] कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 17.10.2023 को [illegible] मौके कब्जे के अनु[illegible] राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया [illegible] ही वाद कारण वादी [illegible]वादीगण के विरूद्ध हासिल है । दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसमें स्टेट को पक्षकार भूमिधारी होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.27 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

से बनाया गया है। स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 (1) सीपीसी के नोटिश की छूट हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया जा रहा है । दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है । दावा श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार में है । अतः दावा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार आदेशित फरमावें ।

(क) यह है कि वादी के खेत खसरा नम्बर 1291/940 तादादी 1.55000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289/934 तादादी 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1288/934 तादादी 1.9400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1290/940 तादादी 0.4500 हैक्टेयर रोही जोधासर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें ।

(ख) यह है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर **1291/940** तादादी 1.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289/934 तादादी 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1288/934 तादादी 1.9400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1290/940 तादादी 0.4500 हैक्टेयर रोही जोधासर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जावे वो भी प्रदान किया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा व स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1291/940 तादादी 1.55000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289/934 तादादी 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1288/934 तादादी 1.9400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1290/940 तादादी 0.4500 हैक्टेयर रोही जोधासर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जाकर मौके कब्जे के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तद्नुसार पालना सुश्चित करें। रहन यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.27 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

श्यामसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 2. भवानीसिंह 3. डूंगरसिंह पुत्रगण कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर 146/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री राजाराम नैणा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 1291/940 तादादी 1.55000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289/934 तादादी 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1288/934 तादादी 1.9400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1290/940 तादादी 0.4500 हैक्टेयर रोही जोधासर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जाकर मौके कब्जे के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तद्नुसार पालना सुशिचित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग		योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.27 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्री-डूँगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)